यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल वकास, नैनीताल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल वकास, नैनीताल के माह **02/2017** से 12/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री वजय कुमार, वरि0ले0प0, श्री एस॰एस॰ राणा AAO, श्री र व शंकर AAO द्वारा दिनांक 11.01.2018 से 18.01.2018 तक श्री एस0के0 जौहरी, लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री मुकेश कुमार, AAO तथा श्री महेश चंद, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 20/02/2017 से 03/03/2017 तक श्री सुनील कल्ला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 12/2014 से 01/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 02/2017 से 12/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2(i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः आगंबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से लाभा थयों को 1-अनुपूरक पोषाहार 2-स्वास्थ्य परीक्षण 3-संदर्भ सेवाए 4-प्रतिरक्षण टीकाकरण 5-पोषण एवम स्वास्थ्य शक्षा 6-स्कूल पूर्व शक्षा (प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवम शक्षा)। समस्त नैनीताल जनपद।

(इकाई द्वारा संचा लत योजनाओं सहित क्रयाकलाप तथा भौगो लक अ धकार क्षेत्र बताया जाय)

(ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रू॰ लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य	बचत
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	**(+)**	**(-)**
2014-15	0.00	0.00	1774.48	1740.70	3040.93	3035.27	0.00	39.45
2015-16	0.00	0.00	111.96	98.34	158.26	158.18	0.00	13.69
2016-17	0.00	0.00	33.91	31.79	450.04	449.66	0.00	02.49
2017-18 (12/2017 तक)	0.00	0.00	55.42	26.96	344.94	3.89	0.00	0.00

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम।	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अ धक्य(+)	बचत(-)
2014-15	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015-16	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016-17	वन स्टॉप सेंटर	0.00	19.41	0.00	0.00	19.41
2017-18 (12/2017 तक)	वन स्टॉप सेंटर	19.41	48.69	29.09	0.00	39.01

(यदि लेखापरीक्षा अव ध तीन वर्ष से अ धक हो तो सम्पूर्ण अव ध का बजट आवंटन एवं व्यय ववरण अं कत कया जाय)

(iii) इकाई को बजट आवंटन (राज्य एवं केंद्र) द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई केंद्र से धनरा श प्राप्त करता है तथा अ श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. स चव **2.** निदेशक **3.** डी0पी0ओ

(संगठनात्मक ढांचा स चव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रद र्शत कया जाय)

(iv)लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल वकास, नैनीताल को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल वकास, नैनीताल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 09/2017 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया। नन्दादेवी योजना, RUTF, वन स्टॉप सेंटर आदि का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन लागत एवं व्यय रा श तथा कार्य की वास्त वक स्थिति को ध्यान में रखकर चयन कया गया। प्रतिचयन लागत एवं व्यय रा श तथा कार्य की वास्त वक स्थिति को ध्यान में रखकर कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-दो (ब)</u>

प्रस्तर **1:-** ब्याज प्राप्ति **₹ 52,455/-** की धनरा श राजकोष में जमा न कया जाना।

उत्तराखंड शासन के वत्त वभाग के शासनादेश संख्या: U.O. 18/XXVII(6)-टी. सी. ए. 934-2014, दिनाँक 21.04.2017 तथा महिला सशक्तिकरण एवं बाल वकास अनुभाग के आदेश संख्या: 610/XVII(4)/2017-2(8)2017, दिनांक 26.04.2017 के अनुसार प्रशासनिक वभागों द्वारा परियोजनाओं हेतु धनरा श बैंक खाते में रखकर ब्याज अर्जित कया जाता है और उक्त ब्याज की धनरा श राजकोष में जमा न करते हुए प्रयोग में लया जा रहा है। यह एक घोर वत्तीय अनियम मतता है तथा निर्दे शत कया है क जितने भी बैंक खाते है उनमें अर्जित ब्याज की पुष्टि करते हुए तत्काल उक्त धनरा श राज्य सरकार के सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कराया जाय।

इसके अतिरिक्त उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या: 99/XXVII(14)/2009 दिनाँक 03.09.2009 द्वारा भी निर्दे शत कया गया था क यदि कसी व शष्ट कारणों के कारण समे कत नि ध से आहरित धनरा श का उपयोग न कया जा सके तथा उस पर ब्याज अर्जित हो तब इस प्रकार अर्जित धनरा श राजकोष में लेखाशीर्षक -0049-ब्याज प्राप्तियाँ, 04 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की ब्याज प्राप्तियाँ, 800 अन्य प्राप्तियाँ, 12-अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियों में जमा कया जाय।

जिला कार्यक्रम अ धकारी, नैनीताल के अ भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया क इकाई द्वारा one stop centre बैंक खाते में कुल ₹ 52,455/- (सूची संलग्न) का ब्याज अर्जित कया गया था जो लेखापरीक्षा ति थ (जनवरी 2018) तक बैंक खाते में ही पड़ी थी। उक्त शासनादेशों के अनुपालन में प्राप्त ब्याज की धनरा श राजकोष में जमा कया जाना अपे क्षत था परंतु इकाई द्वारा लेखापरीक्षा ति थ (जनवरी 2018) तक उक्त ब्याज की धनरा श राजकोष में जमा नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत करने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया क योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना की धनरा श जिला धकारी के पदनाम खाते में जमा की गई है जब क योजना का रख-रखाव एवं क्रयान्वयन इस वभाग द्वारा कया जाना है। ऐसे में कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश न होने के कारण जिला धकारी महोदय से वार्ता कर तदनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क उक्त शासनादेशों के अनुपालन में योजना की धनरा श पर प्राप्त ब्याज की धनरा श राजकोष में जमा कया जाना चाहिए था। अतः **₹** 52,455/- की ब्याज की धनरा श राजकोष में जमा न करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

जिला कार्यक्रम अ धकारी, नैनीताल ।

बैंक खाता संख्या: **98430100004246** (one stop centre**).**

ति थ	प्राप्त ब्याज की धनरा श (में .₹)
10.04.2017	8297=00
10.07.2017	19444=00
17.10.2017	24714=00
योग -	**52455=00**

<u>STAN</u>

प्रस्तर **1:-** वभागीय उदासीनता के कारण नन्दा देवी कन्या योजना के अंतर्गत **4144** लाभा थयों को योजना के लाभ से वं चत रखे जाने के परिणामस्वरूप **₹ 15000/-** प्रति की दर से **₹ 621.60** लाख का लंबित दायित्व रखा जाना।

राज्य सहायतित नन्दा देवी कन्या योजना का लाभ राज्य के उन समस्त निवा सयों, जिनके परिवार मे 01 जनवरी 2009 के बाद दो जी वत बा लकाओं ने जन्म लया हो तथा वह इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त की समस्त शर्ते पूरी करते हो, को दिया जाना है।

ज़िला कार्यक्रम अ धकारी नैनीताल के योजना संबंधी अ भलेखो की लेखापरीक्षा मे पाया गया क वर्ष 2016-17 के दौरान योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु वांछित लाभा थयों की संख्या 6810 थी। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार इन सभी पात्र आवेदकों को योजना का लाभ दिया जाना चाहिए था, परंतु इन आवेदकों मे से मात्र 2666 आवेदकों को ही योजना का लाभ प्रदान कया गया जब क शेष 4144 आवेदकों को वर्तमान तक योजना के लाभ से वं चत रखा गया था जो योजना के दिशानिर्देशों के वपरीत था जिससे वभाग पर ₹ 621.60 लाख (4144 आवेदको को रु 15000 प्रति) का भुगतान कया जाना लंबित था। उल्लेखनीय है क इन 4144 आवेदकों को लाभान्वित करने हेतु आवश्यक धनरा श की वभाग के पास कोई व्यवस्था नहीं थी एवं न ही इस धनरा श को उपलब्ध कराने के संबंध मे समु चत प्रयास कए गए थे।

लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध मे पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया क 4144 पात्र आवेदकों को योजना का लाभ प्रदान करने के संबंध मे निदेशालय से पत्राचार कया जा रहा है, बजट प्राप्त होते ही वांछित लाभा थयो को लाभान्वित करने की कार्यवाही की जाएगी। इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा आप त की पुष्टि करता है अतः वभागीय उदासीनता के कारण 4144 पात्र आवेदकों को योजना के लाभ से वं चत रखने के परिणामस्वरूप ₹ 621.60 लाख के लंबित दायित्व रखे जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-III

(इस भाग में वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण निम्न प्रारूप में अं कत कया जाय)

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ'	भाग-II 'ब'	स्टैन
164/2016-17	-	01, 02	-
140/2014-15	01	01	01
56/2012-13	-	-	01
32/2010-11	-	01, 02	-

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
वगत लेखा प्रस्तरों की अनुपालन आख्या इकाई द्वारा तैयार की जा रही थी, जिसे उच्च अ धकारियों की संस्तुति के पश्चात लेखा परीक्षा कार्यालय को भेजा जायेगा।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल वकास, नैनीताल तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अव ध
.1	सुश्री अनुलेखा बिष्ट	जिला कार्यक्रम अ धकारी	11/08/2014 से वर्तमान तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल वकास, नैनीताल को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रे षत कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/सा.क्षे.